रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253418
CG-DL-E-28032024-253418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1486] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946
No. 1486] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सं. 82/2023

विषयः स्कोमेट की श्रेणी 8क5 के अंतर्गत आने वाली दूरसंचार से संबंधित मदों और सूचना सुरक्षा मदों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र।

का.आ.1567(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 धारा 14क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के अध्याय 10 के पैरा 10.08 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं जैसा कि नीचे उल्लिखित हैः–

पैरा 10.8(xi) – एचबीपी 2023 के पैरा 10.15(i) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्कोमेट श्रेणी 8क5 भाग 1 (जीएईटी) (सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी तथा पैरा 10.15(i) में संदर्भित मदों को छोड़कर) के तहत दूरसंचार से संबंधित मदों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र।

पैरा 10.08(xii) – एचबीपी 2023 के पैरा 10.15(ii) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्कोमेट श्रेणी 8क5 भाग 2 (प्रोद्योगिकी को छोड़कर) के तहत सूचना सुरक्षा मदों (जीएईआइएस) के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र।

इस अधिसूचना का प्रभावः स्कोमेट श्रेणी 8क5 भाग 1 (जीएईटी) के तहत दूरसंचार से संबंधित मदों के निर्यात और स्कोमेट श्रेणी 8क5 भाग 2 (जीएईआइएस) के तहत सूचना सुरक्षा वस्तुओं के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र हेतु नीति को इन मदों के लिए एकमुश्त थोक लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीति अधिसूचित की गई है। इन सामान्य प्राधिकार पत्रों के लिए विस्तृत प्रक्रिया सार्वजनिक सूचना के माध्यम से अलग से अधिसूचित की जाएगी।

[फा. सं. 01/77/171/030/एएम24/ईसी(एस) कम्प्यूटर सं. 36771]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

No. 82/2023

Subject:- General Authorisation for export of Telecommunication-related items and Information Security items covered under category 8A5 of SCOMET.

S.O. 1567(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, the Central Government hereby makes the following amendments in Para 10.08 of chapter 10 of FTP 2023 as mentioned below:

Para 10.08(xi) - General Authorization for Export of Telecommunication-related items under SCOMET Category 8A5 Part 1 (GAET) (Excluding Software & Technology and items referenced in Para 10.15(I)) as per the procedure specified in para 10.15(I) of HBP 2023.

Para 10.08(xii) - General Authorization for Export of Information Security items (GAEIS) under SCOMET Category 8A5 Part 2 (Excluding Technology) as per the procedure specified in Para 10.15(II) of HBP 2023.

Effect of this Notification: The policy for General Authorization for Export of Telecommunication-related items under SCOMET Category 8A5 Part 1 (GAET) & Export of Information Security items under SCOMET Category 8A5 Part 2 (GAEIS) to grant one-time bulk licenses for these items has been notified. The detailed procedure for these General Authorisations will be notified separately via Public Notice.

[F. No. 01/77/171/030/AM24/EC(S) Computer no. 36771]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director, General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.28 18:21:46 +05'30'